

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर नाबालिंग से मारपीट व आपराधिक धमकी देने वाले 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/2014 धारा— 354ए,452,323,324,325,506, भा0द0सं0 व 08 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.आनन्द मोहन पुत्र लालाराम विश्वकर्मा 2.सन्दीप पुत्र लालाराम 3.छोटे भइया पुत्र शिवनाथ विश्वकर्मा व 4.लालाराम पुत्र शिवनाथ विश्वकर्मा निवासीगण कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-30नि0 अमर सिंह



पैरोकार- थाना जलालपुर हे0का0 मनोज कुमार